By Speed Post

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. GNC/5/2019/STGUP/ATOTH/RU-I Dated: 18/2/2020

To,

1. Chief Secretary,
   Govt. of Uttar Pradesh,
   Lucknow.

2. Director General of Police,
   Govt. of Uttar Pradesh
   Uttar Pradesh

Sub: अनुसूचित जनजाति के परिवार पर अत्याचार तथा जानमाल के सुरक्षा के संबंध में- श्री गोपाल नारायण चौधरी, मौज़ा- हरदी डाली, तहसील व थाना- नौतनवा, ज़िला- महाराजगंज, (उत्तर प्रदेश) का अभ्यावेदन ।

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to enclose a copy of the minutes of Sitting held in the Headquarters of National Commission for Scheduled Tribes on 17/1/2020 at 05:00 PM under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairman, National Commission for Scheduled Tribes in the matter.

It is, requested that action taken on the suggestions / recommendations of the Commission may please be sent to the NCST at the earliest.

Encl: As above.

Yours faithfully,

19/2/20

(Dr. Lalit Latta/डॉ ललित लट्टा)
Director/निदेशक
Tel: 011-24615012.

Copy for necessary action to:-

Superintendent of Police,
District-Maharajganj,
(Uttar Pradesh)

Copy to:

श्री गोपाल नारायण चौधरी,
मौज़ा- हरदी डाली,
तहसील व थाना- नौतनवा,
ज़िला- महाराजगंज,
(उत्तर प्रदेश)

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Member (HCV), NCST
2. NIC (for hosting on Commission's website).

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

श्री गोपाल नारायग चौधरी, मौजा–हरदी डाली, थाना–सोनौली, तहसील–नौतनवॉ, जिला–महाराजगंज, (उत्तर प्रदेश) द्वारा उनकी भूमि पर जबरियन कब्जा करना तथा जान–माल की धमकी देने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर दिनांक 17/01/2020 को सांय 5:00 बजे आयोग के माननीय अध्यक्ष, डॉ नन्द कुमार सांय की अध्यक्षता में सपन्न बैठक के कार्यवृत्त।

(GNC/5/2019/STGUP/ATOTH/RU-I)

बैठक मे भाग लेने वालों की सूची --- अनुबंध पर है ।

श्री गोपाल नारायण चौधरी, मौजा–हरदी डाली, थाना–सोनौली, तहसील–नौतनवॉ, जिला–महाराजगंज, (उत्तर प्रदेश) ने अभ्यावेदन दिनांक 09.4.2019 द्वारा बताया की उनकी भूमि पर जबरियन कब्जा किया जा रहा है तथा जान–माल का खतरा है। अतः सुरक्षा प्रदान की जाए। आयोग ने पत्र दिनांक 09.4.2019 द्वारा उपरोक्त अभ्यावेदन को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रसारित करते हुए निवेदन किया कि तथ्य तथा आरोपों पर की गई कार्रवाई की सूचना 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करे। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–माप्र.–अजजा(1)/201–(महाराजगंज) दिनांक 06.6.2019 द्वारा प्रकरण में तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत की गई।

आयोग ने पत्र दिनांक 19.8.2019 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र को अभ्यावेदक को सतुष्टि हेतु प्रेषित किया। आवेदक ने प्रत्युत्तर दिनांक 19.8.2019 द्वारा तथ्य तथा आख्या पर असहमति प्रकट की तथा अवगत कराया कि दिनांक 14.4.2019 को विपक्षियों द्वारा जान से मारने की धमकी दी तथा गाली–गलौच इत्यादि किया गया। अतः जान–माल की सुरक्षा प्रदान की जाएं तथा निर्माण कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे न्याय मिल सके। आवेदक के प्रत्युत्तर को, आयोग ने पत्र दिनांक 20.9.2019 द्वारा मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया। दोनों विभागों से कार्रवाई की सूचना आयोग में प्राप्त नहीं हुई।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

आवेदक ने पत्र दिनांक 15.11.2019 द्वारा जान–माल की सुरक्षा हेतु प्रार्थना की। माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण को हल करने हेतु संबंधित अधिकारियों तथा अभ्यावेदक के साथ विचार विमर्श हेतु दिनांक 17.1.2020 को बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया। बैठक की सूचना मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को पत्र दिनांक 06.1.2020 द्वारा जारी की गई।

बैठक में डीजीपी, (विशेष जांच) लखनऊ तथा डीएसपी, नौतनवॉ जिला–महाराजगंज उपस्थित हुए। उत्तर प्रदेश शासन, गृह विभाग के पत्र संख्या 05(1) जीआई/6–पु–6–20–70(390)/19 दिनांक 16.1.2020 द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश को बैठक हेतु नामित किया गया। बैठक में आवेदक भी उपस्थित हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आवेदक से प्रकरण पर प्रकाश डालने को कहा। आवेदक ने बताया विपक्षीगण दंबग एवं राजनैतिक रसूखदार है। अतः उनसे हमेशा जान–माल की सुरक्षा तथा भूमि पर कब्जा करने का डर लगा रहता है। पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाती है, परंतु अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहतीं, जिससे निराशा बनी रहती है, अतः न्याय दिलाया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर प्रदेश, पुलिस अधिकारियों से प्रकरण में की गई/की जाने वाली कार्रवाई से अवगत कराने को कहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया की मामले में वाद संख्या 304/2019, माननीय न्यायालय सिविल जज (अवर खंड) फरेन्दा, जनपद–महाराजगंज में विचाराधीन है। प्रतिपक्षी को न्यायालय द्वारा उक्त भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करने हेतु आदेशित किया गया था। डीएसपी नौतनवा, ने कहा कि आवेदक कभी भी पुलिस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस हमेशा उनके साथ है। न्यायालय के आदेश के संबंध में पुलिस अधिकारी ने बताया कि आवेदक को उचित विभाग में अभ्यावेदन देना होगा, इसके पश्चात ही पुलिस कार्रवाई करने में सक्षम होगी।

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों तथा अभ्यावेदक के साथ विचार विमर्श के उपरांत, माननीय अध्यक्ष महोदय ने उत्तर प्रदेश, पुलिस को अभ्यावेदक को नियमानुसार भूमि पर कब्जा दिलाने तथा दोषियों के साथ सख्त कार्रवाई करने की संस्तुति की। आवेदक तथा उनके परिवार की जान–माल की सुरक्षा के संबंध में, जिला पुलिस उचित कार्रवाई करें तथा अभ्यावेदक को सुरक्षा प्रदान करे । जिला पुलिस महाराजगंज, प्रकरण में की जाने वाली कार्रवाई से, आयोग को एक मास के अदंर रिपोर्ट प्रेषित करे।

12.02.2022

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुबंध

(F.No. GNC/5/2019/STGUP/ATOTH/RU-I)

List of participants of the sitting held on 17/1/2020 at 05:00 PM under the Chairmanship of Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairman, NCST in the case of Shri Gopal Narayan Chaudhary, District-Maharajganj (UP) regarding protection for his life and property.

I. **National Commission for Scheduled Tribes**

1. Dr. Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson — In chair
2. Shri. K.Touthang , Joint Secretary
3. Dr. Lalit Latta, Director
4. Shri Ram Janam Chaudhary, Asst. Director
5. Shri R.S. Misra, Senior Investigator

II. **Officers of Govt. of Uttar Pradesh**

1. Shri Atal Kumar Rai,
   Spl. Secretary, Home Department

III. **Director General of Police, UP**

1. Shri Mahendra Modi,
   DGP Spl. Enquiries, Police HQ. Lucknow
2. Shri Raju Kumar Shav,
   DCP, Nautanava, Distt-Maharajganj

IV **Petitioner**

1. Shri Gopal Narayan Chaudhary,
2. Shri Wazid Qureshi,